तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुजीत स्वामी बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 152/2023 (ऑनलाईन नं.353281067143236)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी सुजीत स्वामी निवासी दयालू बाबू स्वामी1–एच–1, महावीर नगर एक्स. कोटा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.05.23. में उसके द्वारा (1) जोधपुर जिले में 01 जनवरी 2019 से 30.04.2023 तक विशेष विवाह अधिनियम के तहत गैर हिन्दू लड़की ने हिन्दू लड़के ने शादी की व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 888 दिनांक 27.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना आपके न्यायालय से संबंधित होने के कारण धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 589 दिनांक 29.05.2023 द्वारा न्यायालय शाखा को प्रेषित कर सूचना सात दिवस में भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रकरण में सूचना अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि चाही गई सूचना जिला कलक्टर न्यायालय शाखा से संबंधित है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी, न्यायालय शाखा का निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस में प्रार्थी को निशुल्क सूचना प्रेषित करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	